(6)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०02–15/2016 171 पटना, दिनांक: 21.12.2020

कार्यालय आदेश

श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–04–0427/आ० दिनांक–14.03.2016 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–81 सहपठित ज्ञापांक–606 दिनांक–29.03.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), बक्सर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में जिला पदाधिकारी, बक्सर के आदेश द्वारा अपर समाहर्त्ता (वि० जाँच), बक्सर का पद रिक्त रहने के कारण उप विकास आयुक्त, बक्सर को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया जिसे निदेशालय के का०आ०सं०–140 सहपठित ज्ञापांक–506 दिनांक–17.03.2017 द्वारा संपुष्ट किया गया, लेकिन संचालन प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, बक्सर –सह–संचालन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा भेजा गया है।

निदेशालय के पत्रांक–1539 दिनांक–09.07.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर से अपर समाहर्त्ता, बक्सर को संचालन पदाधिकारी नामित करने संबंधी आदेश/पत्र भेजने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में ज़िला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–03–1535 /रा० दिनांक–12.10.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अरूण कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को ससमय निष्पादित कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश अपर समाहर्त्ता, बक्सर को दिया गया था जिसके आलोक में जाँच प्रतिवेदन भेजा गया है।

इस मामले में श्री अरूण कुमार के विरूद्ध राजपुर थाना में केस नं०–62/016 दिनांक–08.04.2016 दर्ज किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०–152 सहपठित ज्ञापांक–666 दिनांक–03.04.2017 द्वारा श्री अरूण कुमार के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा) के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये:–

(i) खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 04–0316/आ० दिनांक–02.05.2014 द्वारा आपको क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में राजपुर राज्य खाद्य निगम, गोदाम क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्त किया गया था। आपके द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में धान की अधिप्राप्ति की गई थी। क्रय किये गये धान के विरूद्ध राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा निर्गत भंडारनिर्गमादेश पर आपके द्वारा धान की सम्पूर्ण मात्रा

की आपूर्ति मिलरों को नहीं की गई । व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप बनता है। जिसे निर्वाचन कार्य जैसा सदृश्य माना गया है।

(ii) मिलरों द्वारा उपलब्ध कराये गये चालान के मिलान से विदित होता है कि आपके द्वारा अधिप्राप्ति मद में प्राप्त धान के विरूद्ध 554.00 क्विंटल धान मिलरों को आपूर्ति नहीं की गई। इस प्रकार अवशेष 554.00 क्विंटल धान @ 67% CMR =371.18 क्विंटल सी०एम०आर० की आपके कारण क्षति/गबन हुआ जिसका कुल मूल्य 2478.56 रू० प्रति क्विंटल की दर से 9,19,992.00 रू० होता है।

आपका यह कृत सरकारी सेवक आचार नियमावली की उपबन्धों के प्रतिकूल है।

2. अपर समाहर्त्ता, बक्सर-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-03-0381/रा० दिनांक-06.02.2020 द्वारा श्री अरूण कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । संचालन-सह-जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य निम्नवत् है :-

"आरोपी कर्मी श्री अरूण कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर संप्रति बड़हरा प्रखंड, भोजपुर के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में उल्लेखित आरोप, आरोपी कर्मी से प्राप्त स्पष्टीकरण , उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य तथा अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोप प्रमाणित होता है ।"

श्री अरूण कुमार के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने के समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -18(3) के तहत श्री अरूण कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया । श्री अरूण कुमार द्वारा समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

(i) श्री राम प्रवेश राम, सर्किल इंस्पेक्टर, राजपुर को धान खरीद केन्द्र , राजपुर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। श्री राम प्रवेश राम के बीमार पड़ जाने के कारण पत्रांक- 429 दिनांक-25.04.2014 द्वारा राजपुर धान क्रय केन्द्र पर लंबित कार्य को पूरा करने हेतु उन्हें क्रय केन्द्र प्रभारी प्रतिनियुक्त किया गया।

(ii) उनकी प्रतिनियुक्ति के पूर्व श्री राम प्रवेश राम द्वारा 41348.60 क्विंटल धान खरीदा गया था। उसके बाद उनकी प्रतिनियुक्ति राजपुर धान क्रय केन्द्र पर की गई परन्तु उक्त खरीद केन्द्र का प्रभार उन्हें नहीं दिया गया। उनके द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बक्सर को प्रभारी से चार्ज दिलवाने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु प्रभार नहीं दिया गया। एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते एवं वरीय अधिकारियों के लिए सम्मान के लिए बिना प्रभार के किसानों के साथ ही संबंधित पैक्स से भी धान क्रय शुरू किया।

(iii) मैं इन्दापुर क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में कार्य कर ही रहा था कि जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्र संख्या-04-316 दिनांक-02.05.2014 द्वारा मुझे क्रय केद्र, राजपुर का धान खरीद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। स्टॉक रजिस्टर पूर्व के अनुसार प्रभारी द्वारा कुल 41348.60 क्विंटल धान खरीदा गया था। उनके द्वारा अनेकों बार मोबाईल पर संपर्क करने की पूरी कोशिश की गयी परन्तु बार-बार उनका मोबाईल बंद पाया गया । सहायक के रूप में कार्यरत श्री सौरभ कुमार एवं श्री संदेश कुमार, कार्यकारी सहायक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर से पूछने पर इनके द्वारा कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया गया और कहा कि पूर्व कर्मी श्री

रामप्रवेश राम को इसकी जानकारी है। उनके द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम बक्सर से स्टॉक रजिस्टर का प्रभार दिलाने का अनुरोध किया गया लेकिन उन्हें प्रभार नहीं दिया गया।

(iv) मेरे द्वारा तत्कालीन जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बक्सर से मार्गदर्शन की माँग करने पर लिखित रूप से कोई निर्देश नहीं दिया गया परन्तु मुझे मौखिक रूप से काम शुरू करने का निदेश दिया गया। क्रय केन्द्र राजपुर में दिनांक–23.05.2014 से दिनांक–26.06.2014 की अवधि के दौरान 17% नमी के आधार पर कुल 14565.80 क्विंटल धान की खरीद उनके द्वारा की गयी। पूर्व प्रभारी श्री रामप्रवेश राम द्वारा खरीदे गये धान को मिलाकर कुल 55914.40 क्विंटल धान का क्रय हुआ।

(v) केन्द्र से धान की आपूर्त्ति दिनांक–24.02.2014 से शुरू हुआ एवं गर्मी का अवधि एवं बहुत गर्म मौसम के कारण क्रय धान का नमी कम हो गया एवं वजन में कमी हुई। केन्द्र पर करीब 1.60 क्विंटल धान बर्बाद हुआ और नमी में कमी और चूहों द्वारा क्षति के चलते 554 क्विंटल धान की कमी हुई जो कुल वजन का लगभग 1% है।

(vi) उनके द्वारा गर्म मौसम में नमी में कमी के कारण वजन में कमी एवं उचित भंडारण की समस्या के कारण क्षति का मामला प्रकाश में लाये जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गयी। स्पष्ट है कि खरीद के समय धान में नमी होगी और बहुत संभव है कि नमी के अनुपात एवं दर में कमी होगी। नुकसान कुल वजन का 1% से कम है और इसके लिए वे दोषी नहीं हैं।

(vii) मूल रूप से श्री रामप्रवेश राम, धान क्रय केन्द्र, राजपुर के प्रभारी और कुल खरीद में लगभग 80% धान की खरीद उनके द्वारा की गयी थी। गंभीर परिस्थिति में उन्हें क्रय केन्द्र, राजपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया जबकि वे इन्दापुर धान क्रय केन्द्र में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। उनके प्रभार के समय क्रय किये गये पूर्व के स्टॉक का भेरीफिकेशन भी नहीं किया गया एवं उन्हें दिनांक–23.05.2014 को मौखिक रूप से कार्य करने का दिशा निर्देश दिया गया। इसमें केवल उनके विरूद्ध आरोप तय किया गया और पूर्व क्रय केन्द्र प्रभारी श्री राम प्रवेश राम को छोड़ दिया गया।

(viii) उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य को उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भी इन्कार नहीं किया गया और उनके द्वारा बताये गये क्षति के कारण को भी स्वीकार किया गया।

(ix) उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य को बिना किसी कारण के रिकार्ड किये बिना उनके विरूद्ध आरोप साबित कर दिया गया।

(x) अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि न तो उन्हें बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है और न ही विभाग द्वारा आरोप के सबूत के लिए कोई मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य तैयार किया गया है।

3. श्री अरूण कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिये गये अभ्यावेदन में दिया गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख अपने अभ्यावेदन में नहीं किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कि श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा)

" जन्म हो या मरण, जरूरी है पंजीकरण"

प्रासंगिक मामले में दोषी पाये गये हैं, पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचयी प्रभाव के साथ 02(दो) वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा) पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ 2(दो) वेतन वृद्धियों पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

साथ ही श्री कुमार के कार्यकलाप के चलते सरकार को हुए वित्तीय हानि (Financial Loss) 9,19,992.00 (नौ लाख उनीस हजार नौ सौ बेरानवे) रूपये मात्र की वसूली PDR ACT के तहत जिला पदाधिकारी, बक्सर के न्यायालय द्वारा की जायेगी।

इस संबंध में श्री कुमार के विरूद्ध दर्ज राजपुर थाना कांड संख्या–62/016 दिनांक–08.04.2016 के फलाफल से इस विभागीय कार्यवाही का निर्णय प्रभावित होगा।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०02–15/2016 2227 पटना, दिनांक: 21-12-2020

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव,योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, बक्सर को उनके पत्रांक पत्रांक–04–0427/आ० दिनांक–14.03.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री अरूण कुमार से वित्तीय हानि की राशि की वसूली PDR ACT तहत करने हेतु विधि–सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
3. जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/भोजपुर(आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर/भोजपुर(आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 21/12/20

0150 स्था0 1(का0आ0) (04 दिसंबर 2020) अरूण कुमार